मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०२१

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

सर्वत्र मूल अधिनियम में कतिपय वाक्यांशों का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के खण्ड (क), धारा २५ तथा धारा २६ को छोड़कर, सर्वत्र मूल अधिनियम में,—

(एक) शब्द "जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "प्रधान जिला न्यायाधीश" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" स्थापित किए जाएं;

(तीन) शब्द तथा अंक "व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड" स्थापित किए जाएं;

(चार) शब्द तथा अंक "व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग" जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, "व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड" स्थापित किए जाएं.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) "उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग" से अभिप्रेत है, जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और उसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) तथा जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी);".

धारा १८ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में, शब्द "जिला न्यायालय" के स्थान पर, शब्द "प्रधान जिला न्यायालय" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सेट्टी वेतन आयोग (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) ने देश में उच्चतर न्यायिक सेवा तथा निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के वेतनमान, भत्ते, परिलब्धियां, चिकित्सा सुविधाएं, सेवानिवृत्ति प्रत्याभों और संबंधित मामलों के संबंध में अनुशंसाएं की थीं, जिनमें से एक अनुशंसा उच्च न्यायिक सेवा तथा निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के एक समान पदाभिधान अंगीकृत करने की है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक १०२२/१९८९ आल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया तथा अन्य में पारित निर्णय दिनांक ८ फरवरी,२००१ द्वारा अनुमोदित की गई है.

२. उपरोक्त विषयक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार "मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक (सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, २०१७" में नाम पद्धति पहले से ही सम्मिलित कर दी गई है किन्तु जब तक मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) संशोधित नहीं किया जाता, तब तक न्यायिक अधिकारियों का पदाभिधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता.

३. उपरोक्त के आलोक में और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार अन्य राज्यों के साथ न्यायिक अधिकारियों के पदाभिधान को समरूप करने के आशय से मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १९ फरवरी, २०२१.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) से उद्धरण.

* * *

२. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग'' से अभिप्रेत है, जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और उसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश, तथा अपर जिला न्यायाधीश सम्मिलित रहेंगे;

(ख) ''निम्नतर न्यायिक सेवा का संवर्ग'' से अभिप्रेत है, सिविल न्यायाधीश, प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश, द्वितीय वर्ग से गठित होने वाला सिविल न्यायाधीशों का संवर्ग;

(ग) ***

(घ) किसी वाद या मूल कार्यवाही के संबंध में ''मूल्य'' से अभिप्रेत है, ऐसे वाद या मूल कार्यवाहियों की विषय-वस्तु की राशि या मूल्य''.

* * *

१८. जिला न्यायाधीशों के पद में अस्थायी रिक्ति—

किसी जिला न्यायाधीश की मृत्यु हो जाने की दशा में या छुट्टी पर होने के कारण सिविल जिले से उसके अनुपस्थित होने की दशा में अथवा रूग्णता या अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से उसके निवारित हो जाने की दशा में, वह न्यायाधीश जो संवर्ग अधिक्रम (काडर हाइरआर्की) में संवर्ग-ज्येष्ठता के अनुसार सबसे ज्येष्ठ हो, अपने मामूली कर्त्तव्यों में विघ्न डाले बिना, जिला न्यायालय का कार्यभार गृहण करेगा; और ऐसा भार साधक रहते समय, वह वादों तथा अपीलों के फाईल किये जाने, अभिवचन, अर्जियां प्राप्त करने, आदेशिकाओं के निष्पादन, रिटों की तामिली रिपोर्ट तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के संबंध में जिला न्यायाधीश तक के कर्त्तव्यों का पालन करेगा; और उसे इस प्रकार के आपाती अन्तवर्ती मामले, जैसे की उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विहित करें, निपटाने की शक्ति तथा अधिकारिता भी होगी और ऐसा भार साधक न्यायाधीश ऐसा कार्यभार तब तक करेगा जब तक जिला न्यायाधीश का पद पुर्नगृहित न कर लिया जाय या ऐसे अधिकारी द्वारा गृहण न कर लिया जाय जो उस पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.